उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

अधिहरण अपील वाद सं0 02/2023–24

सेराज शेख.....अपीलकर्त्ता।

बनाम

झारखण्ड सरकार.....उत्तरकारी।

आदेश

05.12.2023

यह अधिहरण अपील वाद प्राधिकृत पदाधिकारी –सह– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका के अधिहरण वाद सं0–07/2020 में पारित आदेश दिनांक–31.12.2022 के विरूद्ध दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध मुख्य तथ्य निम्न प्रकार है :–

वन प्रमण्डल दुमका के प्रशासनिक क्षेत्राधीन दुमका दामिन प्रक्षेत्र, काठीकुण्ड अन्तर्गत दिनांक–08.02.2020 को ओड़मो जानेवाली पक्की सड़क झुझको मोड़ के पास से कोयला का अवैध रूप से खनन कर परिवहन करने के कम में LP ट्रक सं0–WB-57D-5442 एवं उस पर लदे कोयला लगभग 40 टन को तत्समय अनुमान्य अधिनियमों/नियमों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधि सम्मत गोपीकान्दर थाना पुलिस बल द्वारा जप्त किया गया। पुलिस अवर निरीक्षक गोपीकान्दर द्वारा विषयक वाहन एवं इस पर लदे कोयला पर राजसात की कार्यवाही हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी –सह– वन प्रमण्डल पदाधिकारी से अनुरोध किया गया। भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संसोधन 1989) की धारा–52 के तहत् प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा विषयक थाना काण्ड सं0–08/2020 में जप्त एल0पी0ट्रक सं0–WB-57D-5442 एवं उसमें लदे 40 टन कोयला पर राजसात की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए संशोधित वाहन मालिक/वन पदार्थ के स्वामी (अपीलकर्त्ता) को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

तत्पश्चात् अपीलकर्त्ता द्वारा लिखित बहस दाखिल किया गया, जिसमें सम्पूर्ण अभियोजन प्रतिवेदन को खंडित किया गया है। उनके द्वारा उक्त कोयला को M/S Sri Krishna Traders of Dusadhtola, Ramgarh Dist-Ramgarh Jharkhand से खरदीकर Aakash INT Udhug Sugaptatti, Dist-Madhubani, Bihar से लाये जाने का जिक्र किया गया है।

अपीलकर्त्ता द्वारा जप्त वाहन एवं कोयले का परिवहन से संबंधित किसी प्रकार का कोई वैध कागजात/साक्ष्य प्रस्तुत नही

किए जाने के कारण प्राधिकृत पदाधिकारी –सह– वन प्रमण्डल द्वारा जप्त वाहन एवं उसमें लदे कोयले को भारतीय अधिनियम 1927 (बिहार संसोधन 1989) की धारा 52(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिहरित किया गया है। इसी आदेश के विरूद्ध में यह अपील वाद दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क निम्न प्रकार है:–

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जप्त कोयला वन क्षेत्र का नहीं है। जप्त कोयला को M/S Sri Krishna Traders of Dusadhtola, Ramgarh Dist-Ramgarh Jharkhand से खरदीकर Aakash INT Udhug Sugaptatti, Dist-Madhubani, Bihar से वैध कागजात e-way bill, Tax invoice आदि के साथ दिनांक–08.02.2020 को लाया जा रहा था। इस पर थाना प्रभारी द्वारा कागजात की जॉच नहीं किया गया। कोयला को वैध कागजात के साथ परिवहन किया जा रहा था। इसके बावजूद इसे जप्त किया गया जो न्याय संगत नही है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए जप्त कोयला एवं वाहन को विमुक्त किया जाय।

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क निम्न प्रकार है–

उत्तरकारी राज्य सरकार की ओर विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्त्ता द्वारा कोयले का परिवहन से संबंधित किसी प्रकार का कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया फलस्वरूप निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है। अतः अपील आवेदन को निरस्त किया जाय।

प्राधिकृत पदाधिकारी –सह– वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार है :–

प्राधिकृत पदाधिकारी –सह– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश में उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि दिनांक–08.02.2020 को गोपीकान्दर थाना के पुलिस बल द्वारा दुमका वन प्रमण्डल के प्रशासनिक क्षेत्राधीन दुमका दामिन प्रक्षेत्र काठीकुण्ड के ग्राम–ओड़मों जानेवाली पक्की सड़क झुझको मोड़ के पास से कोयला का अवैध रूप से खनन कर परिवहन की जा रही थी, परिवहन करते समय प्रतिवादी पक्ष द्वारा समर्पित e-way Bill की फोटो कॉपी फर्जी पायी गई, जिसके क्रम में LP ट्रक सं0–WB-57D-5442 एवं उस पर लदे कोयला लगभग 40 टन को भारतीय अधिनियम 1927 (बिहार संसोधन 1989) 52(3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए गोपीकान्दर थाना काण्ड सं0–08/2020 में जप्त L.P ट्रक सं0–WB 57D-5442 एवं उस पर लदे लगभग 40 टन कोयला को अधिहरित करने का निर्णय लिया जाता है।

निष्कर्ष

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता द्वारा वन प्रमण्डल के प्रशासनिक क्षेत्राधीन दुमका दामिन प्रक्षेत्र, काठीकुण्ड के ग्राम ओड़मो जाने वाली पक्की सड़क झुझको मोड़ के पास से कोयला का अवैध रूप से खनन कर परिवहन करने के क्रम में उक्त वाहन को 40 टन कोयला सहित जप्त किया गया है। अपीलकर्त्ता द्वारा अपने बचाव में कोयले का परिवहन से संबंधित किसी प्रकार का वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है, साक्ष्य के क्रम प्रतिवादी पक्ष द्वारा समर्पित e-way bill की फोटो कॉपी समर्पित किया गया, जो फर्जी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल नं0– 1487/2017 स्टेट ऑफ उत्तरखण्ड बनाम एम0एस0 कुमॉऊ स्टोन क्रेशर में दिनांक–15.09.2017 में पारित आदेश के अनुसार कोयला किसी जगह (निरपेक्ष रूप से वन भूमि हो अथवा गैर वन भूमि हो) पर पाया जाता है तो वह वनोपज के श्रेणी में आता है।

ऐसी स्थिति में प्राधिकृत पदाधिकारी –सह– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमण्डल दुमका द्वारा भारतीय वन अधिनियम–1927(बिहार संसोधन 1989) की धारा 52(3) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जप्त LP ट्रक सं0–W.B-57D-5442 एवं उस पर लदे 40 टन कोयला को राज्य सरकार के पक्ष में अधिहरण किया जाना सही प्रतीत होता है। उस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं है।

आदेश

उपरोक्त उल्लेखित तथ्य एवं कानूनी प्रावधान के आलोक में निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारीज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

5/12/23

उपायुक्त,
दुमका।

5/12/23

उपायुक्त,
दुमका।

1498 Dt 21.12.23
L.CR Returned

Digitally signed by Anjaneyulu Dodde
Date: 2023.12.28 13:08:33 +05:30
Location: 169.254.227.244